न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 87/013

तारीख रजू 20.12.2013

अशोक पुत्र उमराव जाति मीना निवासी ऐदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

:–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 13.09.2011 उनवानी सरकार बनाम अशोक धारा 91 एल आर एक्ट मु0 नं. 354/2011 न्यायालय नायव तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय

दिनांक 07.08.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि अपीलान्ट की ओर से वकील अपीलाट ने नायव तहसीलदार टोडाभीम के निर्णय दिनांक 13.09.2011 से अप्रशन्न होकर यह अपील पेश कर अवगत कराया है कि न्यायालय ने 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा का आदेश गलत व खिलाफ कानून किया गया है अपीलान्टी पश्चातवर्ती अतिचार की श्रेणी मे नही आता है गरीब कास्तगार है इस निर्णय की जानकारी दिनांक 28.11.2011 को हाने पर नियमानुसार नकल ली जाकर श्रीमान की सेवा में दफा 5 का प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस तलब करते हुये अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपने बहस कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुये निवेदन किया है कि अपीलान्ट द्वारा मौके पर से कब्जा छोड दिया गया है एवं 20 रूपये का नोन जुडिसियल स्टाम पर अण्डरटेकिग भी पेश की गई है अपीलान्ट का मौके पर कोई कब्जा नही है अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड को देखने पर पाया कि पटवारी हल्का ऐदलपुर ने ग्राम ऐदलपुर की आराजी खसरा नं. 180,188, रकवा 0.25 है0 चरनोट पर सम्बत 2068 खरीफ मे अपीलान्टी/अतिक्रमी के खिलाफ तिल बोकर अतिक्रमण की रिपोर्ट की गई थी जिसपर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुना जाकर बेदखली शास्ती एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया था पत्रावली में